

उत्तराखण्ड शासन,

वित्त अनुभाग-8

संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादून:: दिनांक:: 18 अगस्त, 2017

अधिसूचना / संशोधन

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात् -

2. उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची के क्रम संख्या 45 के स्तम्भ (3) की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :

क्र० सं०	अध्याय / शीर्ष / उपशीर्ष / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
45	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]

(ii) अनुसूची के क्रम संख्या 148 के स्तम्भ (3) के खंड (छः) में [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य] विलोपित किया जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं० 663 / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।


2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।


4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5- एन0आई0सी0

6- गार्ड फाईल हेतु।


.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव


22/08/2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 663/ 2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 18 August, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 663/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 18 August, 2017

Notification/Amendment

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient to do so in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, is pleased to allow to make the following amendments in the Notification No. 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017 issued by the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, namely:-

2. In the said notification, -

(i) in Schedule for the existing entry in column (3) of serial no. 45, the following entry shall be substituted :

S. No.	Chapter / Heading / Sub-Heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
45	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]

(ii) in Schedule in clause (vi) at column no. (3) of serial no. 148, words [proposed GST Nil] shall be omitted.


(Radha Raturi)
Principal Secretary

✓